न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **18/2017** अपील (राजस्व)

भुपेन्द्र पिता श्री हिरा गुर्जर, निवासी रठाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2017 न्यायालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर ने प्रकरण संख्या 01/2017 ना.क.

उपस्थित : श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 01/2017 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 22.03.2017 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.03.17 को अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी दिनांक 22.03.17 को उपस्थित हुआ तथा प्रकरण में अपना अधिवक्ता नियुक्त करने बाबत न्यायालय से निवेदन किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कहा गया कि आप अपने हस्ताक्षर पत्रावली पर कर दो तथा फिर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उनका वकालतनामा पेश करवा देना। जिस पर विश्वास करते हुए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा उसी दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में पुनः अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ। लेकिन अधिनस्थ

न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना जवाब दावा एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिये कानुन एवं विधि में उपबन्धित प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलान्ट को उसी दिनांक यानिकि 22.03.17 को ही अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। कथित निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की परिभाषा में नहीं आता हैं। अधिनस्थ न्यायालय में ग्रामवासियान रठाना द्वारा जो ग्राम रठाना में अतिक्रमण बाबत शिकायत प्रस्तुत की गई थी उनमें ग्राम रठाना में कई लोगो ने बिलानाम जमीन पर कब्जा होने बाबत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा स्कुल के खेल मैदान में तालाब का पानी भरने की सम्भावना बतायी गई एवं निवेदन किया कि गॉव में हो रहे अतिक्रमण का मौका निरीक्षण कर हटवाये जावें जिससे गॉव का विकास हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रामवासियों की रिपोर्ट की जॉच पटवारी हल्का से करवा पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण का केस बना अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.03.17 से अपिलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसा आदेश असंवैधानिक होकर विधि के नियमो के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति होकर आजीविका पूर्णतया खेती बाड़ी व पशुपालन पर ही निर्भर हैं। अपीलान्ट के परिवार में माता पिता के अलावा अपीलान्ट स्वंय एवं उसके तीन पुत्र निवास करते हैं। इसके अलावा कोई मकान नहीं हैं। इस जगह पर अपीलान्ट 30–35 वर्षो से काबिज होकर भुमि को उपजाउ व कृषि योग्य बनायी हैं। अपीलान्ट उक्त भुमि के आवंटन/नियमन की पात्रता रखता हैं। कथित भुमि बिलानाम जमीन हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपीलान्ट के नाम पर नियमन करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 जा.दी. का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल द्वारा उपस्थित हो समस्त ग्रामवासी रठाना की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भुमि राज्य सरकार द्वारा विद्यालय के लिये खेल के मैदान के लिये

रिजर्व रखी गई हैं। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य बताकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः ग्रामवासियों को भी अपील में पक्ष रखने हेतु पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

जिस पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय का मत है कि यह प्रकरण अपीलान्ट व सरकार के मध्य का है जिसमें ग्रामवासी रठाना का कोई हितबद्ध नहीं हैं। नाही उन्हें पक्षकार समायोजित किया जाना न्यायोचित हैं। यदि ग्रामवासी कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है तो उसे पत्रावली पर लिया जावें। ग्रामवासियान रठाना का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता हैं।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने, बिना साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये न्याय नियम एवं विधि के उपबंधित प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना नहीं करते हुए कथित निर्णय पारित कर दिया गया जो न्यायिक परिभाषा में नहीं आने से काबिल निरस्त के हैं। अपीलार्थी काफी गरीब व्यक्ति होकर इसी कृषि भुमि से ही उसका जीवन निर्वाह होता हैं। काफी मेहनत व श्रम से भुमि को काबिल काश्त बनाया हैं। अतिक्रमित भुमि पर पिछले 30–35 वर्षो से अपीलार्थी का निरंतर निर्बाध कब्जा होकर इसी भुमि पर निवास करता हैं। उसके पास में रहने हेतु अन्यत्र और कोई मकान नहीं हैं। अतः यह भुमि अपीलार्थी को नियमन की जावें जिसकी वह पात्रता भी रखता हैं।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के ग्राम रठाना की आराजी संख्या 699 रकबा 0.05 बिलानाम भुमि पर मकान निर्माण कर दिया गया हैं। इस भुमि का उपयोग काश्त हेतु उसके द्वारा नहीं किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की अपील मेमो में किये गये कथन झुठे हैं। वह इस भुमि पर 30–35 वर्षो से काबिज नहीं होकर वर्तमान में कब्जा कर नया मकान बना रहा हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित होकर सही हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि पटवारी हल्का रठाना का पर्चा मौका दिनांक 16.03.17 के अनुसार भुपेन्द्र पिता हिरा गुर्जर

निवासी रठाना इस आराजी में 0.05 बिस्वा पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण का कार्य चालु कर रखा पाया। अतिक्रमी ने मकान का छावन फड तक निर्माण कर दिया हैं। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि अतिक्रमी द्वारा नया अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया जा रहा हैं। ऐसे अतिक्रमियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाकर तत्काल राजकीय भुमियों पर होने वाले अतिक्रमणों को रोका जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.03.17 से विपक्षी के विरूद्ध दिया गया बेदखली का आदेश विधि में प्रदत्त नियमो के तहत होकर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना नहीं हैं।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 01/17 अनवानी पटवारी हल्का नुरड़ा बनाम भुपेन्द्र पिता हीरा गुर्जर में पारित आदेश दिनांक 22.03.17 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जाकर तहसीलदार मावली को यह भी आदेशित किया जाता है कि ग्रामवासी रठाना द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित अतिक्रमियों के विरूद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर